न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 08/2017 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— श्री शाह बरियाम पुत्र कासम अली जाति मुसलमान निवासी चक 3 के.एस.पी. पुलिस थाना व तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——— **अपीलान्ट**

—— **बनाम** ——

राजस्थान राज्य।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :— श्री नायबसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 23.1.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 19.05.2017, जिसमें अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 2/92 डीएम श्रीगंगानगर को निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 2/92 डीएम श्रीगंगानगर दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन सं. 15900 दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपने लाईसेंस के आगामी वर्षो के लिये नवीनीकरण करवाने का आवेदन पत्र दिये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा नं. 88/15 अन्तर्गत धारा 323,341,325,143 आईपीसी तथा मुकदमा नं. 167/16 अन्तर्गत धारा धारा 323,341,326,143 आईपीसी में दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने की अनुशंषा नहीं की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 में उल्लेखित मुकदमों को आधार मानते हुए तथा लोक सुरक्षा व लोकशान्ति को ध्यान में रखते हुए अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 2/92 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त कर उसमें दर्ज शस्त्र संबंधित पुलिस थाना में जमा कराने के आदेश दिये गये, जिससे

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री नायबसिंह का मुख्य कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो दो फौजदारी मुकदमें मु.नं. 88/15 व 167/16 दर्ज होना बताया गया है। वरवक्त बहस अभिभाषक ने निर्णयों की प्रति प्रस्तुत करते हुए उक्त दोनों मुकदमों में क्रमशः दिनांक 22.10.2016 व 02.01.2017 को अपीलांट को दोष मुक्त किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपनी सफाई में कोई सबूत–साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई तलबी या नोटिस नहीं दिया, ना ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया। अगर अपीलांट को नोटिस दिया जाता तो वह अपने पक्ष में हुए निर्णयों की प्रतियॉ पेश करता। केवल प्रथम सूचना दर्ज होने या न्यायालय में चार्जशीट पेश होने पर किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता। जब तक कि सक्षम न्यायालय उसे दोषी करार न देदे और इस मामले में अपीलांट को सक्षम न्यायालय ने दोषमुक्त किया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का निर्णय दोष मुक्त के बाद दिनांक 19.05.2017 का है। अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अपीलांट के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं रहा है। उक्त दोनों मुकदमें अपीलांट के विरूद्ध झूठे दर्ज करवाये गये थे। अपीलांट एक शांति प्रिय व्यक्ति है। अपीलांट ने कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलांट काश्तकार पेशा है और उसे अपनी कृषि उपज व खेती की सुरक्षा के लिये हथियार की आवश्यकता रहती है। अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण कहीं पर ना तो दर्ज है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है, वह कानून सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 में प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्ध दो फौजदारी प्रकरण दर्ज हुए हैं । जिसके आधार पर अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने वरवक्त बहस कथन किया है कि प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध दो आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें अपीलांट को दोष मुक्त किया गया है। उक्त दोनों मुकदमों अधिनस्थ न्यायालय के पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 से पूर्व के हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये हैं। परन्तु उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह भली भांति प्रकट है कि अपीलांट के विरूद्ध दो आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के आधार पर ही जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.4.17 में अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। अपीलांट की ओर से वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष अन्य कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिन पर विचार किया जा सके। प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ द्वारा व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.5.17 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 23.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर